UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Sociology
Research Link - 165, Vol - XVI (10), December - 2017, Page No. 109-110
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

ब्राह्मणों में वर चयन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में ब्राह्मणों में वर चयन का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। शोधपत्र में स्त्रियों के वैवाहिक जीवन की प्रवृत्तियों में बदलाव को दर्शाने की चेष्टा की है। भारतीय समाज में पिता की सत्ता की अवधारणा ने सदैव ही पुरुष को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह अपनी नियोंग्यताओं के बावजूद सुयोग्य स्त्री को पत्नी बनाये, आशय यह है कि भारतीय सामाजिक जीवन में वैवाहिक परंपरी पुरुष की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है, जो कि पुरुष की योग्यता का कोई मानदंड स्थापित किए बिना उसे सुयोग्यतम स्त्री के चुनाव का अधिकार भी देता है।

डॉ.मनीषा महापात्र* एवं सुश्री नीता बाजपेयी**

सामाजिक अध्येताओं के मध्य सामान्यतः स्थापित धारणा यह है कि आंरभिक समाज मातृसत्तामक प्रकृति के थे तथा समय परिवर्तन और पुरुषों की शारीरिक श्रेष्ठता जैसे आधारों पर समाज सत्ता का सूत्र पुरुष केन्द्रित होता गया। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में हुए इस बदलाव ने उन्हें पुरुषों की तुलना में दूसरे स्तर का प्राणी बना दिया।

विश्व के अधिकांश समाजों की तरह भारतीय समाज में भी परिवर्तन की यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। भारतीय सामाजिक जीवन के धार्मिक पक्ष में भले ही स्त्री घोषित रुप से देवत्व की श्रेणी में सम्मिलित है, किन्तु सामाजिक यथार्थ यह है कि वह पति को परमेश्वर तुल्य स्वीकार करने हेतु प्रशिक्षित है। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान देवत्व के धार्मिक दृष्टांतों के विपरीत स्त्री को पुरुष की अनुगामिनी होने की दीक्षा दी जाती है तथा उसकी सीमायें घर के दायरे तक सीमित कर दी जाती है।

यद्यपि भारतीय समाज के इतिहास में सीता, गार्गी, लक्ष्मीबाई जैसी स्त्रियों का उल्लेख भी मिलता है, किन्तु यह उदाहरण अपवाद स्वरुप है और सामान्य भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही मानसिक दासता के लिए विधिवत प्रशिक्षित की जाती है। भारतीय समाज में पितृ सत्ता ने स्त्री को लक्ष्मी के जन्म के मुहावरे तक ही सीमित कर दिया है। वास्तविक दशा में उसे अपने ही परिवार के पुरुष सदस्यों की तुलना में हेय होने का बोध कराया जाता है।

समाजशास्त्रियों के लिए धार्मिक दृष्टि से स्त्री को देवत्व की श्रेणी प्रदान करने वाला भारतीय समाज वास्तविकता के विरोधाभासी तथ्य को उजागर करता है। जहाँ पर स्त्री पुरुष की अधीनता में सामाजिक जीवन और सामाजिक संबधों का निर्वहन करने वाली इकाई मात्र है। इस अर्थ में भारतीय समाज की धार्मिक और शास्त्रीय परंपरा, उसके वास्तविक सामाजिक जीवन से विरोधाभासों की अभिव्यक्ति देती है।

अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि भारतीय समाज में अपराध, उत्पीड़न, शोषण, भेदभाव सदैव ही स्त्री केन्द्रित रहा है। सामाजिक संगठन के एकीकरण और उसकी निरंतरता का प्रमुख आधार है, स्त्री और पुरुष का स्वजन व्यवस्था में भागीदार होना, जो कि अन्य समाजों की तरह भारतीय समाज में भी अपने धार्मिक वैवाहिक संस्थागत रुप में अभिव्यक्त होती है। उल्लेखनीय है कि इस संस्थागत अभिव्यक्ति में भी स्त्री को दान की वस्तु माना गया है। जबकि वैवाहिक जीवन की अनिवार्यता स्त्री ओर पुरुष दोनों की ही मूल प्रवृत्ति है। इस स्थिति में स्वजन व्यवस्था के इस संस्थागत रुप में स्त्री को दान की वस्तु माना जाना, समाज व्यवस्था की पितृ मूलकता का उदाहरण है। यही नहीं, वैवाहिक जीवन में प्रवेश से पूर्व और पश्चात् दोनों ही स्थितियों में स्त्री को दहेज या मृत्यु जैसी समस्याओं का सामना एक पक्षीय तौर पर करना पड़ता है।

भारतीय समाज में इस्लाम और पश्चिम के सुदीर्घ संपर्को के परिणामस्वरुप परिवर्तन की कतिपय प्रवृत्तियाँ दिखायी देने लगी हैं, जिनमें से स्त्री शिक्षा, आधुनिकता, एवं विवाह की विधिक प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं।

सामाजिक परिवर्तन और कारणों के अध्ययन समाजशास्त्रीय अध्येयताओं के पंसदीदा विषय रहे हैं।

श्रीमती जैन (1995) द्वारा कार्यशील महिलाओं एवं सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन राजस्थान की महिलाओं के विशेष संदर्भ में किया गया है। श्री राज परुथी (1995) के महिला शिक्षा एवं संस्कृति संबधी अध्ययनों के अतिरिक्त महिला एवं सामाजिक परिवर्तन पर कार्य गाँधी जी और महिलाओं पर आधारित है। 1995 में ही मुक्ता मित्तल द्वारा भारतीय महिलाओं के आज एवं कल तथा महिलाओं के विभिन्न सामर्थ्य का अध्ययन किया गया है।

राजस्थान की महिलाओं से संबधित आशुरानी के अध्ययन महिला विकास कार्यक्रम एवं आर्थिक विकास पर केन्द्रित रहे हैं। श्री

**प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
***सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

एस. राम शर्मा के अध्ययन महिला शिक्षा पर आधारित रहे हैं। मैत्रयी चौधरी (2000) ने विज्ञापन और प्रिंट मिडिया में भारतीय महिलाओं पर कार्य किया। देवाल राय द्वारा कृषक आंदोलन, ग्रामीण महिलाओं की शक्ति सामर्थ्य पर कार्य किया गया है।

किन्तु यह अध्ययन स्त्री के आर्थिक उन्नयन को आधार बनाकर किए गए हैं, जबकि प्रस्तुत शोधपत्र में हमने स्त्रियों के वैवाहिक जीवन की प्रवृत्तियों में बदलाव को दर्शाने की चेष्टा की है। भारतीय समाज में पिता की सत्ता की अवधारणा ने सदैव ही पुरुष को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह अपनी निर्योग्यताओं के बावजूद सुयोग्य स्त्री को पत्नी बनाए, आशय यह है कि भारतीय सामाजिक जीवन में वैवाहिक परंपरा पुरुष की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है, जो कि पुरुष की योग्यता का कोई मानदंड स्थापित किए बिना उसे सुयोग्यतम स्त्री के चुनाव का अधिकार भी देता है।

किन्तु प्रस्तुत शोध पत्र में इस स्थापित मान्यता के विपरीत तथ्यों का अध्ययन करने की चेष्टा की गयी है। इस अध्ययन का आधार यह है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रवृतियों ने स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन किया है तथा भावी वधू (स्त्री) भावी वर (पुरुष) के चयन में हस्तक्षेप करने की स्थिती में आ पहुँची है, आशय यह है कि स्त्री की योग्यताएँ इस बात को निर्धारित करती है कि पति होने के लिए पुरुष की क्या–क्या योग्यताएँ होनी चाहिए।

अभिकल्प :

शोध पत्र हेतु परीक्षणात्मक अनुसंधान अभिकल्प का निर्माण किया गया है।

क्षेत्र : प्रस्तुत शोधपत्र में अखिल भारतीय स्तर के वैवाहिक विज्ञापनों को चुना गया है, ताकि संपूर्ण देश को अध्ययन क्षेत्र बनाया जा सके।

निदर्श : प्रस्तुत शोध पत्र में निदर्श के चयन हेतु दिनांक 08.02.2015, 15.02.2015 के दैनिक भास्कर एवं 8.2.2015 के टाइम्स आफ इंडिया के वैवाहिक विज्ञापन को आधार बनाया गया है। तथ इनमें से 50 ब्राह्मण अभिभावकों द्धारा दिए गए विज्ञापनो को दैव निदर्शन पद्धति से अध्ययन की निदर्श इकाइयों हेतु चुना गया है।

उपकल्पना : प्रस्तुत शोधपत्र में निम्नलिखित उपकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है :

(1) भावी वधु की पारिवारिक स्थिति भावी वर की पारिवारिक स्थिति को निर्धारित करती है। **(2)** भावी वधु की आयु भावी वर की आयु को निर्धारित करती है। **(3)** भावी वधु भावी वर को उपजाती बंधन से मुक्त करती है। **(4)** भावी वधु की वैवाहिक स्थिती भावी वर की वैवाहिक स्थिति को निर्धारित करती है। **(5)** भावी वधु की शिक्षा भावी वर की शिक्षा को निर्धारित करती है। **(6)** भावी वधु भावी वर से बायोडाटा की मांग करती है। **(7)** भावी वधु भावी वर से छायाचित्र की मांग करती है। **(8)** भावी वधु भावी वर की कुंडली का परीक्षण करती है। **(9)** भावी वधु का व्यवसाय भावी वर के व्यवसाय को सुनिश्चित करती है। **(10)** भावी वधु की आय भावी वर की आय को निर्धारित करती है।

प्रविधि वर्गीकरण विश्लेषण : शोधकर्ता के लिए यह संभव नहीं था कि अखिल भारत स्तर पर विवाह योग्य कन्या के अभिभावकों से व्यक्तिगत संपर्क कर तथ्य संकलित कर सके, अतएव वैवाहिक विज्ञापनों को अभिभावकों से संपर्क का आधार मानकर इन विज्ञापनों का अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया एवं कन्या की योग्यताओं (चर) के आधार पर भावी वर की योग्यताओं (चर) का परीक्षण chi square के माध्यम से किया गया। इस परीक्षण हेतु द्वि–चरीय सारणियों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त एकल चरीय सारणीय भी निर्मित की गयी है।

निष्कर्ष :

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केवल 12 प्रतिशत स्त्रियों ने ही स्वंय को सुंदर घोषित नहीं किया है तथा 10 प्रतिशत स्त्रियों ने भी अपनी त्वचा के रंग का उल्लेख नहीं किया है। शेष सभी ने अपने को गौर वर्ण का बतलाया है। इसी प्रकार केवल 8 प्रतिशत महिलाओं ने अपने को औसत कद का बतलाया है, जबकि 82 प्रतिशत युवतियों ने स्वयं को ऊँचे कद का घोषित किया है। केवल 10 प्रतिशत ने स्वयं को गृहकार्य में दक्ष होना नहीं बतलाया है। अध्ययन से स्पष्ट है कि भावी वधु की पारिवारिक स्थिति भावी वर की पारिवारिक स्थिति को सुनिश्चित करती है। विवाह के लिए विज्ञापन देने वाली सभी युवतियाँ उच्च, उच्च मध्यम एंव मध्यम वर्ग की है। निम्न वर्ग की किसी भी युवती द्धारा वैवाहिक विज्ञापन नहीं दिया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भावी वधुओं ने भावी वर की आयु निर्धारित करते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि वर और वधु के मध्य आयु का अधिक अंतर न हो।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि लगभग 38 प्रतिशत युवतियाँ उप जाति बंधन की शर्त निर्धारित नही करती हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि भावी वधु का अविवाहित, परित्कयत, विधवा होना भावी वर के अविवाहित, परित्कयत तथा विधुर होने को सुनिश्चित करता है। प्राप्त तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि भावी वधु की शिक्षा भावी वर की शिक्षा को निर्धारित करती है। अध्ययन में सम्मिलित अधिंकाश इकाइयाँ स्वयं का बायो डाटा (अर्हता) देते हुए भावी वर के बायो डाटा की मांग करती है, ताकि बायो डाटा का परीक्षण किया जा सके। इसके अतिरिक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अशिकांश भावी वधुओं द्वारा भावी वर के छाया चित्र की मांग भी की गयी है। अधिकांश भावी वधुओं ने भावी वर की जन्म कुंडली का परीक्षण करना चाहा है। अध्ययन से स्पष्ट है कि भावी वधु का व्यवसाय भावी वर के व्यवसाय को न्यून अंश में निर्धारित करता है, किन्तु भावी वधु की आय भावी वर की आय को सुनिश्चित करती है।

अध्ययन में परीक्षित उपकल्पना क्रमांक 1,2,4,5,7,8,10 अत्यधिक सार्थक पायी गयी है, जबकि उपकल्पना क्रमांक 3,6 सार्थक पायी गयी है, केवल उपकल्पना क्रमांक 9 में सार्थकता का अंश अत्यंत अल्प है।

संदर्भ :

(1) *Vir, Dharm (1990) : Tribal Women Changing Spectrum in India, Classical Publication, New Delhi.* ***(2)*** *Sharma, S.Ram (1995) : Women and Education, Discovery Publication House, New Delhi.* ***(3)*** *Puruthi, Raj (1995) : Women and Social Change, Anmol Publication, New Delhi.* ***(4)*** *Mittal, Mukta (1995) : Women in India - Today & Tomorrow, Anmol Publication, New Delhi.* ***(5)*** *Puruthi, Raj (1995) : Women Education & Culture, Anmol Publication, New Delhi.* ***(6)*** *Chaudhuri, Maitrayee (2000) : Advertisements, Print Media & The New Indian Women.* ***(7)*** *Roy, Debal K Singh (2000) : Peasant Movement & Empowerment of Rural Women.* ***(8)*** *जैन, मंजू (1995) : कार्यशील महिलाएँ एंव सामाजिक परिवर्तन, रूपा बुक्स प्रायवेट लिमिटेड।* ***(9)*** *रानी, डॉ. आशु (1995) : महिला विकास कार्यक्रम, इना श्री पब्लिशर्स।*

❁❁